न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 141/2019

कैलाश पुत्र हरीसिंह जाति खटीक निवासी पहाडी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. मुवीन पुत्र फकरू
2. फकरू पुत्र सिरदार
3. परवीन पत्नि मुवीन
4. मजीदन पत्नि फकरू जाति कुरैशी निवासी भोलाबास तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

5. भरत सिंह पुत्र हरीसिंह जाति खटीक निवासी पहाडी तहसील पहाडी

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश शर्मा वकील वादी
श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :— 26/04/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 454/0.26, 453/0.06, 456/0.66 हैक्टर बांके ग्राम कस्बा पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है । प्रतिवादी संख्या 5 वक्त दावा दायरी न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसे दावे मे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है जिसके हित व अधिकार वादी के समान है। आराजी मुतदाविया वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है। आज भी मौके पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का कब्जा व काश्त है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस वक्त है फिर भी प्रतिवादीगण कब्जे काश्त वादी में मजाहमत व मदाखलत करते रहते है एवं कब्जा नाजाइज करना चाहते है जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक .... को ग्राम पहाडी में दी है यदि प्रतिवादीगण अपनी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से नहीं हो सकेगी। विधि वजह वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। विनाय मुखास्मत दिनांक 31/10/2019 को ऐलानिया धमकी देने पर अदालत हाजा पैदा हुई। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

वे कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे कब्जा नाजायज नहीं करे मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । उक्त प्रकरण दिनांक 29/08/2023 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम होने के कारण पत्रावली वास्ते जबाब काउन्टर क्लेम नियत की । जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी एवं जबाब प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इस आशय का पेश किया कि आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र में से दिनांक 03/04/2004 को वादी व तरतीवी प्रतिवादी ने आ0ख0न0 454 के रकबा 0.26 है0 बांके ग्राम पहाडी प्रथम को वामुवलिंग क मुश्त राशि 45000/–पैतालीस हजार रूपया प्रतिवादी नं0 1 से नगद प्राप्त कर आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.26 हैक्टर से अपने समस्त हक व हकूक तर्क करते हुए पडौसी काश्तकारान व गवाहन की मौजूदगी में वाकई मौके पर कब्जा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी ने मुझ प्रतिवादी नं0 1 को सौंप दिया जिसकी इकरारनामा भी वादी व तरतीवी प्रतिवादी ने 100/–रूपया स्टाम्प कीमती पर नोटरी पब्लिक से तहरीर व तस्दीक कराकर मुझ प्रतिवादी नं0 1 के हवाले कर दिया वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की सहमति का इकरारनामा प्राप्त करने के बाद मुझ प्रतिवादी नं0 1 ने ख0न0 454 रकबा 0.26 है0 की पक्की बाउन्ड्री वाल करते हुए नीम डालकर 17–18 कमरो की नीम भरली है, एक पक्का कमरा , लैट्रीन बाथरूम पानी का टैंक, 30–32 फुट लम्बी पाटोर एवं बिजली का कनेक्शन लेते हुए अपने रिहायश के उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा मौके पर भी इस वक्त मुझ प्रतिवादी नं0 1 का शान्तीपूर्वक कब्जा है। वादी व तरतीवी प्रतिवादी इकरारनामा दिनांक 03/04/2024 द्वारा आ0ख0न0 454 के रकबा 0.26 है0 की बाबत एक मुश्त नगद राशि 45000/–पैतालीस हजार रूपया मुझ प्रतिवादी नं0 1 से नगद प्राप्त कर मौके पर कब्जा मुझ प्रतिवादी को सुपुर्द करने के बाबजूद आ0ख0न0 454 रकबा 0.26 है0 बांके ग्राम पहाडी प्रथम में जबरन मजाहमत व मदाखलत करते है मुझ प्रतिवादी नं0 1 को मेरे शान्तीपूर्वक रिहायशी कब्जा से बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में है। यदि वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो मुझ प्रतिवादी नं0 1 को आ0ख0न0 454 रकबा 0.26 है की बाबत ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति किसी भी धनं राशि से संभव नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रतिवादी नं0 1 वादी व तरतीवी प्रतिवादी को जरिये काउण्टर क्लेम आ0ख0न0 454 रकबा 0.26, है बांके ग्राम ग्राम पहाडी प्रथम में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करने , मुझ प्रतिवादी नं0 1 को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करने की डिक्री से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः जबाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी नं0 1 खिलाफ वादी व तरतीवी प्रतिवादी पेश कर निवेदन है कि वादी तरतीवी प्रतिवादी का आ0ख0न0 454 रकबा 0.26 है0 बांके ग्राम पहाडी प्रथम की बाबत दावा खारिज फरमाया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

मुझ प्रतिवादी नं0 1 के प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी को आ0ख0न0 454 रकबा 0.26 है0 में मुझ प्रतिवादी नं0 1 के शान्तीपूर्वक कब्जे में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत करने से एवं मुझ प्रतिवादी नं0 1 को मेरे शान्ती पूर्वक कब्जे से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करने की डिक्री से पाबन्द फरमाया जावें।

साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 मुवीन, डी0डब्लू0 2 मुस्ताक, डी0डब्लू0 3 मजीद के शपथ पत्र पेश कर अपनी साक्ष्य बन्द की।

बहस वकील प्रतिवादीगण सुनी गई । वकील प्रतिवादीगण ने अपने जबाब काउन्टर क्लेम में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

वकील प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 का भी अवलोकन किया। उक्त नकल जमाबन्दी में वादी व तरतीवी प्रतिवादी विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है। उक्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की आराजी है। जिस पर अन्य वर्ग के लोगो को न्यायहित में खातेदारी दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 141/2019

कैलाश पुत्र हरीसिंह जाति खटीक निवासी पहाडी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. मुवीन पुत्र फकरू
2. फकरू पुत्र सिरदार
3. परवीन पत्नि मुवीन
4. मजीदन पत्नि फकरू जाति कुरैशी निवासी भोलाबास तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

5. भरत सिंह पुत्र हरीसिंह जाति खटीक निवासी पहाडी तहसील पहाडी

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/04 सन् 2024 को जारी की गई ।

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		